

प्रेस नोट

दिनांक 11.02.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये गए विशेष अभियान के तहत 24 घण्टे में 45 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर विभिन्न मा0न्यायालय से लम्बित गैर जमानतीय **वारण्टी/वांछित** अभियुक्तों की अधिक से अधिक गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए गए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 11.02.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के नेतृत्व में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों ने थाना स्तर पर टीमों का गठन कर विशेष अभियान चलाया गया। जिसमें समस्त थानों से कुल 45 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी है। जिनका विवरण निम्न है—
थाना को0 नगर पुलिस ने 05, थाना को0 देहात पुलिस ने 02, थाना इटियाथोक पुलिस ने 01, थाना खरगूपुर पुलिस ने 02, थाना छपिया पुलिस ने 01, थाना खोड़ारे पुलिस ने 06, थाना तरबगंज पुलिस ने 02, थाना नवाबगंज पुलिस ने 03, थाना वजीरगंज पुलिस ने 02, थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 02, थाना करनैलगंज पुलिस ने 06, थाना परसपुर पुलिस ने 06, थाना कटराबाजार पुलिस ने 03 व थाना कौड़िया पुलिस ने 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

प्रेस नोट

दिनांक 11.02.2024, थाना कौड़िया

जनपद गोण्डा।

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा गैरइरादतन मृत्यु करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार—

कार्यवाही—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0—385 / 23, धारा 304,325,323,504,506,147,149 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मुरलीधर को आर्यनगर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 05.12.2023 को थाना कौड़िया क्षेत्र के ग्राम चकईपुरवा मौजा बनगाई में दो पक्षों के मध्य बहेला जानवर हांकने की बात को लेकर विवाद हुआ था। जिसमें विपक्षीयों द्वारा वादी रामजागे पुत्र धनलाल पासवान व उसके परिजनों को गाली—गुप्ता देते हुए लाठी—डण्डों से मारा—पीटा था। जिसमें वादी के लड़के राजकुमार उर्फ निरहू को गम्भीर चोटें आयी थी। जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। वादी के तहरीर पर थाना कौड़िया में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें आज दिनांक 11.02.2024 को थाना कौड़िया के उ0नि0 प्रशान्त कुमार गुप्ता मय टीम द्वारा वांछित चल रहे अभियुक्त मुरलीधर को आर्यनगर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. मुरलीधर पुत्र तिलकराम नि0 चकईपुरवा मौजा बनगाई थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0—385 / 23, धारा 304,325,323,504,506,147,149 भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 प्रशान्त कुमार गुप्ता।
02. हे0का0 विनोद पाण्डेय।
03. का0 आदित्य यादव।
04. का0 लवकुश मौर्या।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 01.02.2024

थाना छपिया पुलिस द्वारा लडकी को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना छपिया पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0-06/24, धारा 363,342 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामदिनेश को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.01.2024 को थाना छपिया क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना छपिया में सूचना दी गयी कि उसकी लडकी को विपक्षी उस्मान अली द्वारा शादी करने की नियत से बहला-फुसलाकर कर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना छपिया में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना उ0नि0 राजेश कुमार दूबे को सुपुर्द की गयी थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त रामदिनेश पुत्र तिलकराम को कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मसकनवा बभनान रोड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रामदिनेश पुत्र तिलकराम नि0 ग्राम झिन्नू पुरवा चटकनवा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-06/24, धारा 363,342 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 दिलीप सिंह।
02. हे0का0 विजय कुमार।
03. का0 विश्वजीत सिंह।

प्रेस नोट

दिनांक 11.02.2024, थाना खरगपुर

जनपद गोण्डा।

थाना खरगपुर पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी के साथ छेड़छाड करने आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार—

कार्यवाही:—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी गोण्डा श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी को० नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खरगपुर पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु०अ०सं०-30/2024, धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो ऐक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मंशाराम को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 10.02.2024 को थाना खरगपुर क्षेत्र में पीड़िता द्वारा लिखित तहरीर दी गयी की उनकी नाबालिग पुत्री के साथ विपक्षी मंशाराम द्वारा छेड़छाड की गयी है। वादिनी की तहरीर पर थाना खरगपुर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना उ०नि० संतोष कुमार पाण्डेय को सुपुर्द की गयी थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त को खरगपुर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. मंशाराम पुत्र रामशब्द नि० विशुनापुर मदार पुरवा थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-30/2024, धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो ऐक्ट थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० दिलीप कुमार।
02. हे०का० विजय कुमार।
03. विश्वजीत सिंह।

प्रेस नोट

दिनांक 11.02.2024

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा/सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा शहर क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण कर परीक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश-

गोण्डा। आज दिनांक 11.02.2023 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा/सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के दृष्टिगत शहर क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों फकरूद्दीन अली अहमद राजकीय इण्टर कालेज, सेंट थामस स्कूल व टामसन इण्टर कालेज आदि का भ्रमण कर वहां की स्थिति का जायजा लिया गया तथा परीक्षा में लगे पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सकुशल सम्पन्न कराए जाने हेतु परीक्षा से पूर्व ड्यूटी पर लगे समस्त अधि0/कर्मचारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की गयी थी। मीटिंग के दौरान महोदय द्वारा बताया गया कि प्र0नि0/थानाध्यक्ष आवंटित परीक्षा केन्द्रों पर भ्रमणशील रहकर दोनों पालियों में संपन्न होने वाली परीक्षा को शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखते हुए सम्पन्न करना सुनिश्चित करेंगे अगर किसी परीक्षा केन्द्रो पर ड्यूटी में लगाये गये पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य पुलिस बल की आवश्यकता प्रतीत होती है तो सम्बन्धित थानों से पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही स्वाट/सर्विलांस टीम को भी संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए परीक्षा की पारदर्शिता भंग न होने हेतु निर्देशित किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 11.02.2024, थाना को0नगर,
जनपद गोण्डा।

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा लूट करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,
कब्जे से 02 अदद मोबाइल फोन बरामद—

कार्यवाही:—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी गोण्डा श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयासों उपरांत लूट करने के वांछित अभियुक्त इमरान पुत्र अब्दुल सलीम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 30.01.2024 को मीना क्लीनिक नियर सूरज होटल के पास वादिनी श्रीमती सरिता पत्नी अरविन्द कुमार वर्मा नि0 बगुलही पोस्ट श्रीनगर बाबागंज धानेपुर के साथ मोबाइल लूट की घटना घटित हुई थी। वादिनी की तहरीर पर थाना को0 नगर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना उ0नि0 पिन्टू कुमार यादव को सुपुर्द की गयी थी। विवेचना के दौरान इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों की मदद से प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त इमरान को महादेवा कासिंग के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूट के 02 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. इमरान पुत्र अब्दुल सलीम नि0 मोहल्ला इमामबाड़ा फ़ैजाबाद रोड महाराजगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-87/2024, धारा 392,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 02 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 पिन्टू कुमार यादव।
02. का0 दीपक कुमार।
03. का0 राजेश कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 11.02.2024, थाना को0नगर,
जनपद गोण्डा।

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा 02 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, चोरी की 02 मोटरसाईकिलें बरामद—

कार्यवाही:—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0-86/24, धारा 379,411,419,420,467,468,471 भादवि से सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 मोटरसाईकिल चोरों-01. आदर्श पाण्डेय, 02. शाहरूख को गिरफ्तार कर उनके कब्जे व निशानदेही से चोरी की 03 अदद मोटरसाईकिलें बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

वादी धीरेन्द्र कुमार मिश्र पुत्र ओमप्रकाश मिश्रा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी की दिनांक 03.02.2024 को समान खरीदने पोर्टरगंज बाजार गया था। वही से उनकी प्लेटिना मोटरसाईकिल चोरी हो गयी है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था तथा विवेचना उ0नि0 बलीराम सिंह को सुपुर्द की गयी थी। विवेचना के दौरान प्रकाश में आये 02 आरोपी अभियुक्तों- 01. आदर्श पाण्डेय, 02. शाहरूख को आज दिनांक 11.02.2024 को गोण्डा कचहरी स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे व निशानदेही से चोरी की 03 अदद मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों का एक आपराधिक गिरोह है जो भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु जनपद गोण्डा व बहराइच आदि जनपदों से मोटरसाईकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. आदर्श पाण्डेय पुत्र सुभाष चन्द्र पाण्डेय नि0 ग्राम पथवलिया थाना को0नगर जनपद गोण्डा।
02. शाहरूख पुत्र छब्बन नि0 आनन्द समोसा वाली गली तिवारी पुरवा मौजा जानकीनगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग—

01. मु0अ0सं0- 86/24, धारा 379,411,419,420,467,468,471 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद प्लेटिना मोटरसाईकिल।
02. 01 अदद एच0एफ0 डिलक्स मोटरसाईकिल।
03. 01 अदद सी0डी0 डिलक्स मोटरसाईकिल।

अभियुक्त आदर्श का आपराधिक इतिहास—

01. मु0अ0सं0-19/23, धारा 380,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-444/11, धारा 379,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0-659/11, धारा 110^{जी} दं0प्र0सं0 थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त शाहरुख का आपराधिक इतिहास—

01. मु0अ0सं0—470 / 2015, धारा 8 / 21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट को0 नगर जनपद गोण्डा ।
02. मु0अ0सं0—475 / 2022, धारा 8 / 21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट को0 नगर जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 बलिराम सिंह ।
02. उ0नि0 भानू प्रताप सिंह ।
03. हे0का0 मनोज यादव ।
04. हे0का0 ध्रुव कुमार ।